न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 39 / 2014 / बाड़मेर

अपीलांट

1. पन्नाराम पुत्र हनुमानराम
2. पारूदेवी पत्नी हनुमानराम
3. कुंभाराम पुत्र हीराराम
4. पुरखाराम पुत्र हीराराम
5. राजुराम पुत्र हीराराम
6. सालुराम पुत्र हीराराम
7. हेमी पत्नी हीराराम
8. सुराराम पुत्र सिमरथाराम
9. जालाराम पुत्र सिमरथाराम
10. पारू पत्नी सिमरथाराम
11. रूगनाथ पुत्र चिमनाराम
12. मोहन पुत्र चिमनाराम
13. देवीलाल पुत्र चिमनाराम
14. हरीकिशन पुत्र चिमनाराम
15. हेमाराम पुत्र चिमनाराम
16. मगीदेवी पत्नी चिमनाराम
17. सोनाराम पुत्र केसाराम जाति जाट निवासी रडु(चैनपुरा) तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.धीराराम पुत्र मालाराम
2.सुरताराम पुत्र मालाराम
3.सोनाराम पुत्र मालाराम
4.चैनाराम पुत्र मालाराम
5.खेराजराम पुत्र मालाराम
6.तेजाराम पुत्र मालाराम
7.रेखाराम पुत्र मालाराम
8.गवरी पत्नी मालाराम जाति रडु (चैनपुरा) तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।
9.मैनेजर एस.बी.आई.शाखा गुड़ामालानी
10.मैनेजर एस.बी.बी.जे.शाखा गुड़ामालानी।
11.तहसीलदार गुड़ामालानी।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 408 / 2013 बअनवान धीराराम वगै. बनाम पनाराम वगै. में पारित निर्णय दिनांक 21.02. 2014 के विरूद्व पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री श्यामलाल सिंगल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बाबुलाल सारण रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 08.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदातागण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक आवेदन 251–ए का प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.10.2013 को दिया जिसका अपीलांट को कोई ज्ञान नहीं कराया गया और न ही विधिवत नोटिस

Scanned by CamScanner

अपीलांट से तामिल कराये गये। साजिश करके अपीलांट द्वारा नोटिस की तामील इन्कार करना बताकर सभी अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आदेश पारित कराये है जो गैर कानूनी एवं नियम विरूद्ध है। तहसीलदार धौरीमन्ना की ओर से जो मौका फर्द दिनांक 24.01.2014 की पेश की गई है, उसका नोटिस भी अपीलांटगण को नहीं दिया गया और मौके के हालत के विरूद्ध रिपोर्ट पेश की गई। प्रस्तावित रास्ता जो तहसीलदार द्वारा बताया गया है वहां पर अपीलांट की रहवासी ढाणी व टांका बना हुआ है जिसे जानबूझकर तहसीलदार ने अपनी मौका रिपोर्ट में नहीं बताया है जिससे यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में की गई संपूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत नहीं है। उतरदातागण द्वारा जो रास्ता अपीलांट के खेत खसरा संख्या 51 में से मांगा गया है वह रास्ता सुगम भी नहीं है क्योंकि प्रस्तावित रास्ते से अपीलांटगण के खेत के दो टुकड़े हो जाते है। उतरदातागण अपने खेत खसरा संख्या 54 व 53 के पश्चिमी सरहद पर आये हुए खेत में से ही आया जाया करते हैं और उसी क्षेत्र में उतरदातागण को रास्ता सड़क तक जाने के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है जिसमें किसी पक्ष को कोई विवाद नहीं होगा। अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि उतरदातागण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक आवेदन 251–ए का प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.10.2013 को दिया जिसका अपीलांट को कोई ज्ञान नहीं कराया गया और न ही विधिवत नोटिस अपीलांट से तामिल कराये गये। साजिश करके अपीलांट द्वारा नोटिस की तामील इन्कार करना बताकर सभी अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आदेश पारित कराये है जो गैर कानूनी एवं नियम विरूद्ध है। तहसीलदार धौरीमन्ना की ओर से जो मौका फर्द दिनांक 24.01.2014 की पेश की गई है, उसका नोटिस भी अपीलांटगण को नहीं दिया गया और मौके के हालत के विरूद्ध रिपोर्ट पेश की गई। प्रस्तावित रास्ता जो तहसीलदार द्वारा बताया गया है वहां पर अपीलांट की रहवासी ढाणी व टांका बना हुआ है जिसे जानबूझकर तहसीलदार ने अपनी मौका रिपोर्ट में नहीं बताया है जिससे यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में की गई संपूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत नहीं है। उतरदातागण द्वारा जो रास्ता अपीलांट के खेत खसरा संख्या 51 में से मांगा गया है वह रास्ता सुगम भी नहीं है क्योंकि प्रस्तावित

Scanned by CamScanner

रास्ते से अपीलांटगण के खेत के दो टुकड़े हो जाते है। उतरदातागण अपने खेत खसरा संख्या 54 व 53 के पश्चिमी सरहद पर आये हुए खेत में से ही आया जाया करते हैं और उसी क्षेत्र में उतरदातागण को रास्ता सड़क तक जाने के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है जिसमें किसी पक्ष को कोई विवाद नहीं होगा। अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 54 में जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन एकतरफा आदेश पारित किया गया जिसका ज्ञान अपीलांटगण को दिनांक 05.08.2014 को ही हुआ जो पटवारी द्वारा कराया गया, जिस पर अपीलांटगण की आरे से अपीलाधीन आदेश की नकले प्राप्त की गई जो दिनांक 08.08.2014 को प्राप्त हुई। नकले प्राप्त करने तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि

Scanned by CamScanner

प्रकरण में प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 24.01.2014 से स्पष्ट है कि ग्राम रडू के खसरा संख्या 67 रकबा 07.06 बीघा गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिस पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है मौका नक्शा अनुसार निकटतम रास्ता खसरा संख्या 69 जो गैर मुमकिन रास्ता है, तथा वर्तमान में मुरड़(ग्रेवल) सड़क भी बनी हुई है। इसमें खसरा संख्या 54 तक पहुंचने हेतु निकटतम रास्ते का विकल्प खसरा संख्या 51 मे से होकर ही है। मौके पर नक्शे में दर्शाए गए स्थान पर सड़क चल रही है। अतः खसरा संख्या 54 रास्ते से जोड़ने हेतु एकमात्र विकल्प संलग्न नक्शे में दर्शाये हरे रंग के अनुसार ही हैं। इसके अलावा खसरा संख्या 54 को कटाण रास्ते से जोड़ने का कोई विकल्प नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में इस रिपोर्ट के आधार पर जो निर्णय दिया है वह युक्तियुक्त एवं विधिसम्मत है। रास्ते हेतु यही एकमात्र विकल्प है और न्यूनतम दूरी 33 फीट का रास्ता कुल रकबा 01 बिस्वा दिया गया है, जो रेस्पोडेंट का विधि अनुसार अधिकार है। हस्तगत अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य है।

लिहाजा अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 408/2013 बअनवान धीराराम वगै. बनाम पनाराम वगै. में पारित निर्णय दिनांक 21.02.2014 को यथावत रखा जाता है।

8/7/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 08.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner